आपराधिक केस वाले की पीआईएल पर सुनवाई से इनकार

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता के खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण लंबित चल रहे हों और वह आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहा हो तो उसकी ओर से दायर जनहित याचिका का परीक्षण नहीं किया जा सकता।

वहीं अदालत ने ऐसे व्यक्ति की ओर से दायर जनहित याचिका को दस साल बाद खारिज कर दिया। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश अशोक पाठक की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि यह जनहित याचिका ऐसे व्यक्ति ने दायर की है, जो पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का है और याचिका दायर करते समय उसके खिलाफ चार आपराधिक प्रकरण लंबित थे। ऐसे में उसकी ओर से जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों का जनहित के आधार पर परीक्षण नहीं किया जा सकता।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने वर्ष 2013 में जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में अलवर के पूर्व राजपरिवार सदस्यों पर आरोप लगाया था कि वे अलवर के कुशालगढ में वर्ष 2005 में सीलिंग एक्ट में जब्त जमीन पर अवैध तरीके से होटल चला रहे हैं।

इसके अलावा होटल चलाने के लिए बिजली विभाग ने भी उन्हें कम डिमांड राशि पर बिजली कनेक्शन जारी किया है। वहीं होटल में आबकारी कानून लाइसेंस लिए बिना ही शराब परोसी जा रही है। इसलिए सीलिंग एक्ट में जब्त जमीन पर अवैध तरीके से चलाए जा रहे होटल का संचालन बंद करवाया जाए। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अब खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आपराधिक प्रवृत्ति का होने के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया है।

तुष्टिकरण के खिलाफ बड़ी चौपड़ पर सामाजिक एकजुटता का महाप्रदर्शन

जयपुर। दुर्घटना को सांप्रदायिक रंग देने और असामाजिक तत्वों द्वारा चारदीवारी के बाजारों में लूटपाट के विरोध में जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सर्व हिन्दू समाज ने संतों की अगुवाई में बुधवार को बड़ी चौपड़ पर महाधरना दिया। इसमें हजारों हिन्दू समाज के लोगों ने तेज धूप के बावजूद सड़कों पर बैठकर शांतिपूर्वक धरना दिया। भगवा ध्वज और तिरंगा झंडा लहराते हुए लोगों के समूह कार्यक्रम

- **सात दिन में बाजारों में उपद्रव मचाने वाले और सड़क दुर्घटना को मॉब लिचिंग का रूप देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे जयपुर बंद की चेतावनी दी**

जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सर्व हिन्दू समाज ने संतों की अगुवाई में बुधवार को बड़ी चौपड़ पर तेज धूप के बावजूद सड़कों पर बैठकर शांतिपूर्वक धरना दिया।

शुरू होने से पूर्व ही बड़ी चौपड़ की ओर बढ़ने लगे। धरने में शामिल लोग तुष्टिकरण बंद करो, आंतकियों को बाहर भगाओ, आवाज दो हम एक है, छोटीकाशी की पहचान सौहार्द्र, संस्कृति और नारी सम्मान लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे। भारत माता और जय श्रीराम के नारों ने माहौल में जोश बनाए रखा।

कार्यक्रम का शुभारंभ संतों के उद्बोधन और देशभक्ति गीतों के साथ हुआ। मंच से पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता करने और विधिक मदद उपलब्ध करवाने की घोषणा के साथ चेतावनी दी गई कि सात दिन में बाजारों में उपद्रव मचाने वाले और सड़क दुर्घटना को मॉब लिचिंग का रूप देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे जयपुर बंद का आह्वान किया जाएगा। मुख्य वक्ता समाजसेवी हेमंत सेठिया ने कहा कि जयपुर में हमेशा से सामाजिक सौहार्द्र का वातावरण रहा है। सभी समुदाय और वर्ग सदियों से मिल जुल कर रहते आए हैं लेकिन दूसरे शहरों और राज्यों से लोग आकर यहां का माहौल बिगाड़ रहे हैं। शांति और सौहार्द्र सभी समुदायों और समाजों की सामूहिक जिम्मेदारी है। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि व्यापारी समाज कमजोर नहीं है। मुस्लिम समुदाय के समूहों में आपसी झगड़े के बाद दूसरे दिन पुरोहित जी के कटले और दड़ा बाजार को जबरन बंद करवाने, सामान फैंकने की घटना में लिप्त लोगों को गिरफ्तार कर सजा नहीं दी गई तो पूरे जयपुर को बंद किया जाएगा। हम यह भी जानते है कि एक घंटे भी बाजार बंद रहता है तो अरबों रूपए के राजस्व का नुकसान होता है लेकिन अपने अस्तित्व के लिए ऐसा करना हमारी मजबूरी है।

गुर्जर समाज के देवनारायण गुर्जर ने कहा कि समाज के वातावरण को खराब करने वाले और ऐसे तत्वों को संरक्षण देने वाले लोगों को सबक सिखाना होगा। भारत के टुकड़े करने और सनातन का विरोध करने वालों का अस्तित्व मिटाना होगा।

वाल्मीकि समाज के मनोज चांवरिया ने कहा कि आज प्रशासन और हिंदुओं और समुदाय विशेष में भेदभाव बरत रहा है। हिंदुओं के त्योहार मनाने पर अंकुश लगाया जा रहा है। सिख समाज के सरदार जसवीर सिंह, मातृशक्ति से मंजू वैष्णव, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, रावणा राजपूत समाज के रणजीत सिंह सोडाला ने भी महाधरने को संबोधित किया। सर्व समाज हिंदू महासभा के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश भाड़ेवाला, सिंधी समाज से चंद्र प्रकाश खेतानी, साहू समाज के श्याम साहू, मेहरा समाज से हनुमान सहाय मेहरा, यादव समाज से मुकेश यादव, श्री राजपूत करणी सेना के प्रताप कालवी, विप्र सेना के अध्यक्ष सुनील तिवाड़ी सहित विभिन्न समाजों से जुड़े लोग अपने समाज के लोगों के साथ महाधरने में शामिल हुए। महाधरने में विभिन्न मठ-मंदिरों के संत-महंत-पीठाधीश्वर मंचस्थ थे। कौशल्या दास की बगीची के कानादास महाराज, सांवल दास बगीची के सियाराम दास महाराज, पापड़ के हनुमान जी के रामसेवक दास महाराज, अमरनाथ महाराज, राम कुटिया के कृष्ण दास महाराज, हाथोज

धरने में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और महापौर प्रत्याशी कुसुम यादव सहित अन्य भाजपाई भी शामिल हुए।

के दक्षिणमुखी बालाजी मंदिर के स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज, सरना डूंगर के परशुराम दास महाराज, बाल व्यास महाराज, आचार्य भावनाथ, मनीष दास, साध्वी समदर्शी के अलावा गीता गायत्री मंदिर के पंडित राजकुमार चतुर्वेदी, सरस निकुंज के प्रवक्ता प्रवीण बड़े भैया काले हनुमान मंदिर के योगेश शर्मा सहित अनेक संत-महंत उपस्थित रहे। सरकार के समक्ष प्रमुख मांगे रखी गई। उनमें से दुर्घटना के बाद वीडियो में हरे कपड़े में एक युवक खुद को मंसूरी बताते हुए दिख रहा है। उसी व्यक्ति ने इकबाल की हथियार से हत्या की है, उसे गिरफ्तार किया जाए। हिंदू युवक गुंडा तत्वों से आत्मरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन पर हत्या की धारा हटाकर आत्म रक्षा की धारा लगाई जाए। संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच कर आठ निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए। इस प्रकरण में दो जनप्रतिनिधियों की संलीप्तता की जांच हो। इकबाल के परिजनों को मॉब लिचिंग के नाम पर पचास लाख का मुआवजा दिया गया जबकि यह सत्य नहीं है। जांच रिपोर्ट नहीं आने तक या तो मुआवजा राशि वापस ली जाए या दुर्घटना और मॉब लिचिंग में मारे गए हिंदुओं के परिजनों को भी पचास लाख रूपए दिए जाए। जयपुर से बाहर आकर फुटकर व्यवसाय कर रहे थड़ी-ठेला वालों, ई रिक्शाचालकों के बैकराउंड की जांच करते हुए पहचान पत्र जारी किए जाए। शहर में रात्रि साढ़े दस बजे के बाद समूह में बैठने, तेज गति से बाइक चलाकर भय का माहौल बनाने वालों से जुड़ी सख्त गाइडलाइन बनाकर पालना करवाई जाए।

कांग्रेस सचिवों को प्रभार वाली सीटों पर जिम्मा संभालने के निर्देश

लेकिन सचिवों का ध्यान तो खुद की दावेदारी पर है, वह प्रभार वाले क्षेत्रों में जाएंगे कैसे?

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में टास्क देने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और वार रूम कमेटी के अध्यक्ष सुनील कुमार सेंथिल ने प्रदेश कांग्रेस के सचिवों की बैठक बुलाई और टास्क दिया गया कि सभी सचिव अपने-अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र में जाकर आज से ही जुट जाएं।

यहां कांग्रेस में समस्या यह है कि पहली बार सचिव बनने वाले लगभग सभी नेता कहीं ना कहीं से खुद दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में जब तक टिकट का फैसला ना हो जाए उनका मन अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र के बजाय अपनी ही दावेदारी पर अटका हुआ है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की पुरानी कार्यकारिणी को भंग करने के बाद जब नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, तो उसमें 121 सचिव बनाकर बंपर नियुक्तियां कर दी गई। इन नियुक्तियों में इतनी बड़ी संख्या का सामने आना पार्टी को इसलिए सुखद लग रहा था कि ज्यादा लोग पदों पर होंगे, तो वह चुनाव के समय संगठन का काम बखूबी करेंगे। यहां हुआ यह कि जैसे ही टिकटों की दावेदारी की बात आई, वैसे ही पहली बार सचिव जैसे पद पर आने वाले, वे नेता जो कभी जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी में भी नहीं रहे थे, में से अधिकांश ने टिकटों की दावेदारी कर दी। कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं, जहां से तीन-तीन सचिवों ने टिकट की दावेदारी जता रखी है। ऐसे में उन सचिवों का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगा हुआ है और वह उन प्रभार वाले क्षेत्र से दूरी बनाए हुए हैं, जहां की जिम्मेदारी देकर प्रदेश कांग्रेस संगठन मान रहा था कि सचिव पार्टी के लिए चुनाव का अच्छा फीडबैक तैयार करके लाएंगे। बुधवार को हुई वार रूम कमेटी की बैठक में सचिवों को बुलाकर उन्हें चुनावी मंत्र दिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां सचिवों से कहा कि मैं अध्यक्ष हूं ,लेकिन लोगों के बीच बैठकर संगठन का काम करता हूं। मुझे अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहने का कोई शौक नहीं है। वही कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए सुनील कुमार सेंथिल ने कर्नाटक फार्मूला समझने का प्रयास किया कि किस तरह से कांग्रेस ने वहां जीत दर्ज की थी।

मृत हैड कांस्टेबल का बर्खास्तगी आदेश अवैध

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत मांगने की ऑडियो क्लिप के चलते बर्खास्त किए गए हैड कांस्टेबल की सेवा समाप्ति के आदेश को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह मृत हैड कांस्टेबल को मिले अंतिम वेतन के आधार पर बकाया वेतन और अन्य परिलाभ का भुगतान तीन माह में उसके आश्रितों को करे। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश हनुमान राम की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता की मौत हो चुकी है। ऐसे में प्रकरण में पुन: जांच कराने या वापस बहाली का आदेश देने का कोई औचित्य नहीं है।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद की ओर से अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अजमेर के नसीराबाद थाने में हैड कांस्टेबल था।

पुलिस कमिश्नर ने संभाली कमान महाधरना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न

जयपुर (कासं)। सुभाष चौक में सड़क दुर्घटना को साम्प्रदायिक माहौल का रूप देने के विरोध में सर्व समाज की ओर से बड़ी चौपड़ पर दिए जा रहे महाधरने के दौरान एक बार तनाव की स्थिति बन गई। सैकड़ों युवा धरना स्थल से रामगंज बाजार की तरफ नारेबाजी करते हुए कूच कर गए।

- **भीड़ उग्र हुई तो एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई, कुंवर राष्ट्रदीप व डीसीपी डोगरा ने सूझबूझ से रोका**
- **भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सादावर्दी में पुलिसकर्मियों के गले में केसरिया दुपट्टा डालकर तैनात कर रखे थे**

महाधरना के दौरान परकोटे में करीब डेढ़ हजार पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में एडिशनल डीसीपी, एसीपी, निरीक्षक तैनात रहे।

हालांकि रामगंज बाजार के मुहाने पर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ और बड़ी चौपड़ पर रामगंज की तरफ एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई व कुंवर राष्ट्रदीप ने भीड को समझाने का प्रयास किया।

बड़ी चौपड़ महाधरना से भीड़ रामगंज बाजार के मुहाने पर लगे पुलिस वेरिकेड्स तक पहुंच गई और रामगंज बाजार की तरफ जाने के लिए पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की करने लगी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ भीड़ में उग्र युवाओं को समझाते हुए बड़ी चौपड़ की तरफ धकेला। करीब आधे घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होने पर सभी युवा शांत हुए और हनुमान चालीसा के पाठ करने लगे। क्षेत्र की डीसीपी राशि डूडी डोगरा चारों तरफ की कमान संभाले हुए थी। पुलिस की सूझबूझ के कारण महाधरना शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ।

महाधरना समापन के बाद बड़ी संख्या में रामगंज की तरफ पैदल रवाना हो गई। इस दौरान रामगंज बाजार में बिजली के पोल पर लगा एक धार्मिक ध्वज को एक युवक उतारने का प्रयास करने लगा। तभी करीब 100 मीटर दूर खड़े पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ अकेले ही दौड़ लगाते हुए युवक को पकड़ा। इसके बाद अन्य पुलिस बल वहां पहुंचा और युवाओं को समझाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सादावर्दी में पुलिसकर्मियों के गले में केसरिया दुपट्टा डालकर तैनात कर रखे थे। भीड़ रामगंज की तरफ जाने लगी तो इन पुलिसकर्मियों भीड़ को अपने मनमुताबिक डायवर्ट भी किया। पुलिस ने महाधरना को देखते हुए बड़ी चौपड़ पर जाने वाले बाजारों में जौहरी बाजार को सांगानेरी गेट, हवामहल बाजार में चांदी की टकसाल और त्रिपोलिया बाजार में चौडा रास्ता के पास बैरिकेड्स लगाकर वाहनों के लिए रास्ता बंद कर दिया था। यहां से लोगों को पैदल महाधरना स्थल जाने की व्यवस्था की गई।

वहीं साम्प्रदायिक माहौल न बिगड़े इसके लिए बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ के बीच में चार जगह बैरिकेड्स लगा रखे थे। घाटगेट बाजार, सूरजपोल बाजार व रामगंज चौपड़ से चार दरवाजा जाने वाले मार्ग पर भी वेरिकेड्स लगाए गए। ताकि दोनों तरफ से भीड़ बेरोकटोक न आ-जा सके। महाधरना को देखते हुए परकोटे में करीब डेढ़ हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में एडिशनल डीसीपी, एसीपी, निरीक्षक लगाए गए।

धरने के दौरान परकोटे के बाजार बंद रहे।

श्रद्धासुमन

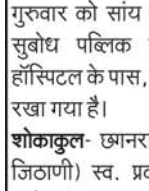

स्व. श्रीमती कुसुम खन्ना

मीठी मधुर स्मृतियां आपकी, कभी मिट नहीं पायेंगी।

आपका व्यवहार आपकी बोल, सदैव हमें याद आयेगी।।

श्रद्धावनत- मनीष खन्ना-सुपर्णा खन्ना एवं समस्त परिवार।

पुण्यतिथि-स्मरण

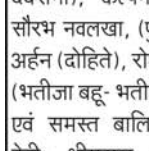

स्व. श्रीमती सन्तोष मल्होत्रा

धर्मपत्नी वेद प्रकाश मल्होत्रा

"माँ"

आपके प्रेरणादायी जीवन एवं निःस्वार्थ सेवा प्रवृत्ति की मधुर स्मृतियों को शत् - शत् नमन

श्रद्धावनत- समस्त परिवारजन

उठावना

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी प्रिय **श्रीमती सुनीता बालिया**

(धर्मपत्नी ज्ञान चंद बालिया) का आकस्मिक निधन 02.10.2023 को हो गया है। उठावना 05.10.2023 गुरुवार को सांय 4:00 से 4:30 बजे सुबोध पब्लिक स्कूल, दुर्लभ जी हॉस्पिटल के पास, रामबाग सर्किल पर रखा गया है।

शोकाकुल- छगनराज- शकुंतला (जेठ-जिठाणी) स्व. प्रकाश चंद- पूर्णिमा, राजेंद्र कुमार- स्व. रेणु (देवर-देवरानी), कल्पना (पुत्री), सुषमा-सौरभ नवलखा, (पुत्री- दामाद) अर्णव, अर्हन (दोहिते), रोशन, पारुल- सौरभ (भतीजा बहू- भतीजा) गीतिशा (पौत्री) एवं समस्त बालिया परिवार। मैना देवी- भीमराज कावेड़िया (ननंद-नंदोई), प्रीति- विनोद रेड, नीतू-उपनीश सेठ, प्रियंका- मनीष मोदी, शानू- मनीष चौरड़िया (भतीजी- जंवाई), प्रमिला- हरीश नाहर, निर्मला- हितेश नाहर, मनीषा- कमलेश सोलंकी, रेणु-महावीर परमार (भाणजी- जवांई), पीहर पक्षः- स्व. लाभचंद जी, सौभागमल, शांतिलाल, जवरी लाल (भाई), राजीव, संजीव, अंकुर एवं नितेश नाहर परिवार (ब्यावर वाले)

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाव्य द्वारा ग्राम भोजपुर भू अभिलेख क्षेत्र गेजी पटवार हल्का भोजपुर तहसील दूदू जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि जिसका पुराना खाता संख्या 34 व नया खाता संख्या 209 है स्थित खसरा संख्या 1006/621, 620, 622 स्थित कुल क्षेत्रफल2.9220हेक्टेयर भूमि को दिनांक 16.08.2023 को लिखित इकरारनामें द्वारा मैसर्स पी.एच.ए. बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड जरिये निदेशक हनुमान सहाय अग्रवाल पुत्र श्री ग्यारसी लाल अग्रवाल ने श्री जगदीश जनकल्याण एजुकेशन ट्रस्ट पंजीकृत पता मेहरा कॉलोनी, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) उत्तर प्रदेश जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री पवन सिंह चौहान पुत्र श्री सोमनाथ चौहान से क्रय करने का इकरार किया हुआ है तथा उक्त इकरारनामें के पेटे अग्रिम राशि का भुगतान भी किया हुआ है अतः सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था उक्त कृषि भूमि को अथवा उसके किसी भी भाग को क्रय या करें तथा ना ही क्रय/विक्रय करने का इकरारनामा करें अन्यथा उसके वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

दिनांक- पृथ्वी सिंह, एडवोकेट, मो. 9882221779

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given on behalf of my/our client (i.e. ICICI Bank Ltd.), that the Original Property Papers (hereinafter collectively referred to as the "Documents") pertaining to the immovable property (more particularly described in under noted schedule) of its customer Mr. Hemraj regarding property at Residential Plot/House (Patta No. 12), Measuring 61.20 Sq. Mtr., Situated at Village Jhar, Tehsil Bassi, District Jaipur, Rajasthan is missing & not traceable either at customer end or at Bank's end. My/our client is proceeding to take necessary action including applying to concerned authorities for issue of duly Certified Copies/ Certified True Copies/Duplicate Copies of the documents. Any person(s) coming into possession of the aforesaid documents and/or any person(s) who is/are having knowledge of the whereabouts of the documents are hereby requested to inform the same at the above address within 30 days from date hereof. Public are warned not to deal with the documents and any person receiving or dealing with the said documents would do so at their own risk and responsibility (including criminal liability) and my/our client shall not be liable in any manner whatsoever for any loss incurred by such person(s) on account of any such unauthorized dealing.

Schedule: Original sale deed dated 30.11.1999 executed by Mr. Shivram in favour of Mr. Hemraj registered before Sub Registrar Bassi (Jaipur) along with site plan.

Place: Jaipur
Date: 04.10.2023
Pulkit Garg & Associates
M/Z-4, Alankar Tower, D-157 A/C, Kabir Marg, Bani park, Jaipur-302016. Mob. 9828084002

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाव्य द्वारा ग्राम भोजपुर भू अभिलेख क्षेत्र गेजी पटवार हल्का भोजपुर तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि जिसका पुराना खाता संख्या 34 व नया खाता संख्या 209 है स्थित खसरा संख्या 1006/621, 620, 622 स्थित कुल क्षेत्रफल2.9220हेक्टेयर भूमि को दिनांक 16.08.2023 को लिखित इकरारनामें द्वारा मैसर्स पी.एच.ए. बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड जरिये निदेशक हनुमान सहाय अग्रवाल पुत्र श्री ग्यारसी लाल अग्रवाल ने श्री जगदीश जनकल्याण एजुकेशन ट्रस्ट पंजीकृत पता मेहरा कॉलोनी, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) उत्तर प्रदेश जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री पवन सिंह चौहान पुत्र श्री सोमनाथ चौहान से क्रय करने का इकरार किया हुआ है तथा उक्त इकरारनामें के पेटे अग्रिम राशि का भुगतान भी किया हुआ है अतः सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था उक्त कृषि भूमि को अथवा उसके किसी भी भाग को क्रय/विक्रय नहीं करें तथा नही खरीदने का इकरारनामा करें अन्यथा वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

पृथ्वी सिंह, एडवोकेट, मो. 9882221779

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक:-DHC-II/626 दिनांक-29.09.2023

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 5/20 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 262.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्रीमती नगीना पत्नी श्री लियाकत हुसैन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 5756-5760 दिनांक 16.03.1990 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 16.03.1990 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1675 दिनांक 28.03.1995 के द्वारा श्री थावर दास पुत्र श्री चैनमल के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 30.03.1995 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री थावर दास की मृत्यु दिनांक 02.04.2016 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश दतवानी पुत्र स्व. श्री थावर दास ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वसीयतनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री चन्द्र प्रकाश दतवानी पुत्र स्व. श्री थावर दास के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्यदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने मेरे पुत्र सौम्य पटवा व पुत्रवधु श्रीमती खुशी से किन्ही पारिवारिक कारणों से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। कोई भी व्यक्ति इनसे किसी भी प्रकार का लेन-देन या व्यापार करने का स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे परिवार का इनसे कोई सारोकार नहीं है। सनद रहे।

दिनांक 04.10.2023 सुरेन्द्र कुमार पटवा पुत्र श्री जौहरी लाल पटवा
4/245, जवाहर नगर, जयपुर

खोया पाया

मेरे प्लाट नम्बर 3 ख 2 जवाहर नगर जयपुर की ओरिजनल परपयुचल डीड और कन्वेयंस डीड कहीं खो गई है मिलने पर सूचित करें। नाम माखन लाल अग्रवाल मो. 9352779353

मेरा प्लाट नंबर 69 की स्कीम खुशी संसार-4 (निजी खातेदार) के ओरीजनल जेडीए पट्टा, साइट प्लान, रसीद, स्टांप पेपर, विक्रय पत्र (रामस्वरूप जाट और मुकबुल हुसैन मंसूरी के बीच हुई) समस्त दस्तावेज़ खो गए है सुचित करे मुकबूल हुसैन मंसूरी-9829057680

मेरा प्लाट नंबर 67 की स्कीम खुशी संसार-4 (निजी खातेदार) के ओरीजनल जेडीए पट्टा, साइट प्लान, रसीद, स्टांप पेपर, विक्रय पत्र(रामस्वरूप जाट और मुकबुल हुसैन मंसूरी के बीच हुई) समस्त दस्तावेज़ खो गए है सुचित करे मुकबूल हुसैन मंसूरी-9829057680

मेरा प्लाट नंबर 68 की स्कीम खुशी संसार-4 (निजी खातेदार) के ओरीजनल जेडीए पट्टा, साइट प्लान,रसीद , स्टांप पेपर,विक्रय पत्र(बद्रीलाल चौधरी और मुकबुल हुसैन मंसूरी के बीच हुई) समस्त दस्तावेज़ खो गए है सुचित करे मुकबूल हुसैन मंसूरी-9829057680

भूखंड संख्या 155 कॉर्नर वाटिका इंफॉटिक सिटी का जे डी ए द्वारा जारी आवंटन पत्र, साइट प्लान व कब्ज़ा पत्र कही खो गए है मिलने पर सूचित करे विक्रम सिंह 6376143866

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम अश्वनी कुमार स्वामी से बदलकर अश्वनी भारद्वाज पुत्र श्री सत्यदेव रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। पता-ए-49, खादी कॉलोनी (हटवाडा रोड) अजमेर रोड जयपुर।

आर्मी नं. Army No. रैंक 16021369 NK हेमा राम आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरी धर्मपत्नी नाम किरण दर्ज है, अन्य दस्तावेजों में किरण देवी दर्ज है आर्मी रिकॉर्ड में किरण से नाम किरण देवी करवाना चाहता हूँ शपथ पत्र दिनांक 20.09.2023 को बनवाया है।

मेरा नाम आज से पूर्व करणवीर सिंह पंवार पुत्र ओम सिंह पंवार था। जबकि वर्तमान में मेरा वास्तविक नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड और अन्य दस्तावेजों के अनुसार करण वीर सिंह (Karan Veer Singh) पुत्र ओम सिंह पंवार अंकित है। अतः भविष्य में मुझे करण वीर सिंह पुत्र ओम सिंह पंवार फुलेरा के नाम से ही जाना जावें। स्थायी पता वार्ड नं. 18/315 हलवाई बाजार, फुलेरा जयपुर।

I have changed my name from Yogesh Kumar to Yogesh Kumar Jayaswal S/o Chothmal Jaiswal for all purpose; Resi:- D-138, Malviya Nagar, Jaipur